संख्या:142/2026/766/35-4-2026/35-4099/94/2024

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़ ।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ: दिनांक: 20 मई, 2026

विषय – जनपद प्रतापगढ़ में वित्तीय वर्ष 2026-27 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-11/2026/328/35-4-2026/35-4099/94/2024, दिनांक: 25 मार्च, 2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत राजकीय पॉलीटेक्निक, कहैनियां, पट्टी, प्रतापगढ़ के भवन निर्माण कार्य हेतु अवशेष जी0एस0टी0 रू0 210.79 लाख (रूपये दो करोड़ दस लाख उन्यासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। आपके पत्रांक-31/त्व0आ0वि0/2025-26, दिनांक-07.04.2026 द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद को धनराशि प्राप्त न होने के कारण कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त नही की जा सकी। तत्क्रम में उक्त शासनादेश दिनांक: 25 मार्च, 2026 के क्रम में राजकीय पॉलीटेक्निक, कहैनियां, पट्टी, प्रतापगढ़ के भवन निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि (जी0एस0टी0), रू0 210.79 लाख (रूपये दो करोड़ दस लाख उन्यासी हजार मात्र) को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत शासनादेश संख्या-11/2026/328/35-4-2026/35-4099/94/2024, दिनांक: 25 मार्च, 2026 द्वारा जनपद प्रतापगढ़ में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-2020 में स्वीकृत राजकीय पॉलीटेक्निक, कहैनियां, पट्टी, प्रतापगढ़ के भवन निर्माण कार्य हेतु अवशेष जी0एस0टी0 रू0 210.79 लाख (रूपये दो करोड़ दस लाख उन्यासी हजार मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 में अवमुक्त किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं। तद्नुक्रम में उक्त शासनादेश दिनांक: 25 मार्च, 2026 में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2025-2026 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2026-2027 पढ़ा जाएगा।

3- उपरोक्त के क्रम में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि को आहरित किये जाने में किसी भी दशा में द्विरावृत्ति (duplicacy) नहीं होने पाये।

4- प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 25 मार्च, 2026 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शर्ते एवं प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या-142/2026/766 (1)/35-4-2026/35-4099/94/2024, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मंडलायुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
8. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग ,कानपुर, उत्तर प्रदेश।
9. प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्डडी0एस0,उ0प्र0 जल निगम, टी0सी0-38 बी, विभूति खण्ड,गोमतीनगर, लखनऊ।
10. मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
11. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।
12. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5,उत्तर प्रदेश सचिवालय।
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, प्रतापगढ़ ।
13. परियोजना प्रबन्धक,यूनिट-10, सी0,एण्ड डी0एस0,उ0प्र0 जल निगम, प्रतापगढ़।
14. संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
दुर्गा प्रसाद,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।